रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2015/माघ 3, 1936

No. 49] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2015/PAUSA 3, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2015

सा.का.नि.51(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित की जाती है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम उस तारीख से जिसको राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

कोई आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, परिवहन भवन, पर्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110 001 को भेजे जा सकते हैं;

ऐसे आक्षेप या सुझाव जिसे पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम, 115ख, में "यानों के लिए जब वे संपीड़ित प्राकृतिक गैस" शब्दों से आरंभ होने वाले और "जहाँ एनएमएचसी = 0.3 X एच सी" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि जैव-संपीड़ित प्राकृतिक गैस को सी एन जी के आनुकल्पिक सम्मिश्रण के रूप में मोटर यानों के लिए अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इन नियमों के अधीन गैसोलीन या डीजल यानों के लिए लागू द्रव्यमान उत्सर्जन मानक संबंधित यानों को तब लागू होंगे जब वे जैव-संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हों :

परन्तु यह और भी कि जैव-संपीड़ित सम्मिश्रण विनिर्दिष्ट आई एस 15958 के अनुसार संपीड़ित प्राकृतिक गैस संबंधी ईंधन को पूरा करता है। "

[सं.आरटी-11011/03/2012-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(i) में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा. का. नि. 27 (अ), तारीख 13.01.2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2015

G.S.R.51 (E).— The following draft of certain rules further to amend Central Motor Vehicle Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 read with sub-section (1) of Section 52 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are0100 made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Department of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi – 110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called as Central Motor Vehicles (....Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Offcial Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 115B, after the portion beginning with the words "Mass emission standards for vehicles when operating on" and ending with "shall be replaced by Non-Methane Hydrocarbon (NMHC), where NMHC = 0.3 x HC.", the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that Bio-compressed natural gas shall be permitted for motor vehicles as an alternate composition of the CNG:

Provided further that the mass emission standards applicable to gasoline or diesel vehicles under these rules shall be applicable to respective vehicles when they use Bio- compressed natural gas:

Provided also that the Bio-compressed natural gas composition meets the fuel specification for CNG as per IS 15958 and meets the requirement of Siloxanes max 0.1 ppm (calculated as Si).

[No.RT-11011/03/2012-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R.27(E), dated 13.01.2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.